कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Labour, Govt. of India)

उप क्षेत्रीय कार्यालय, Sub-Regional Office, NASHIK, MAHARASHTRA

प्लॉट नं. पी 11, भविष्य निधि भवन, एम. आय. डि. सी. सातपूर, नासिक- 422007
Plot No. P-11, Bhavishya Nidhi Bhavan, M. I. D. C. Satpur, Nasik-422 007.

सं. महा. / नासिक / No. MH / PF / NSK / APP / 57085/3105 दिनांक / Dated : 28/12/1

सेवा में To, M/s Industrial Labour Associates,
21, Sangmitra Hsg. Society,
Sanjay Gandhi Nagar,
Upnagar, Nasik- 422101.

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 कोड संख्या का आवंटन
Subject : Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 allotment of code numbe

महोदय / Sir,

1. मेसर्स __________ उद्योग/स्थापना अपनी सभी शा एवं विभागों सहित कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 तथा उसके अधीन निर्मित योजना के कार्यक्षेत्र के इ दिनांक __________ से लायी जाती है ।

The factory / establishment M/s. Industrial Labour Associates with all its branches and departments are brought within the purview of the employees' Provident Funds and Miscellanc Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder with effect from 23.11.2012.

इसे कोड संख्या महा / नासिक __________ आबंटित किया गया है । इस कार्यालय के साथ होने वाले १ के सभी पत्राचार में यह संख्या उद्धृत की जाए ।

A code No. MH./ NSK/ 57085 has been alloted to it. This number may be quoted in all f correspondence with this office.

2. Your establishment / factory has employed 21 persons on 23.11.2012

आपकी स्थापना / फैक्ट्री द्वारा दिनांक __________ को __________ कर्मचारियों की नियुक्ति की है

इस कार्यालय को उपलब्ध सूचना अनुसार : As per information available with this office -

(A) आपका उद्योग __________ में आंबध है जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित उद्यो से एक है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 (3) लागू होती है ।
Your factory is engaged in __________ which is one of the indu specified in Schedule I of the Act to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act

(B) आपकी स्थापना __________ के रूप में वर्गीकृत है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 (3) (बी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना लागू की गयी
Yours is an establishment classified as Expert Services to which the Emplo Provident Funds and Miscellanceous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Governme India by a Notification issued under Section 1(3) (b) of the Act.

3. आपके आवेदन संख्या __________ दिनांक __________ के संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधि 1952 के विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर यह कोड संख्या आबंटित की जाती है । यह कर्मचारी भविष्य एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा 4 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना का एक लम्बित मामला है ।
This code number is alloted with reference to your application No. __________ dated __________ for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 u section 1(4) the Act, on voluntary basis. This is pending issue of a notification by the Government of India under Sub-Se (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

4. यह कोड संख्या कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अन्तर्गत निर्मित योजना के उपबन्धों के अनु को पूर्ण करने के उद्देश्य हेतु आबंटित की गयी है ।
The code number is alloted for the purpose of making compliance with the provisions of the Employees' Provi Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Schemes framed thereunder.

10. जैसा कि ऊपर है, आपकी स्थापना / उद्योग आबंटित कोड संख्या महा / .... है । प्रपत्र सं. के अनुसार क्रमबध्द रूप में आप सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से अलग से खाता सं. आबंटित कर सकते है । वैयक्तिगत खाता संख्या

महा / नासिक.............................../1, महा / नासिक .... 2, महा / नासिक............................/ 3, या इसी प्रकार आगे भी होगी । एक बार सदस्य को आबंटित की गयी संख्या किसी भी तरह दूसरे सदस्य को आबंटित नहीं की जाएगी चाहे उसका खाता बन्द हो गया । इस प्रकार आबंटित की गयी खाता संख्या प्रत्येक सदस्य को सूचित करें तथा वे इस संख्या को सभी पत्राचार में कार्यालय उद्द करने के लिए कह सकते है ।

As stated above, the code number alloted to your factory / establishment is MH / NSK / 57085 The account number for individual members may be alloted serially as it appear in form No. 9 The individual member should be prefixed by the code number alloted to the establishment. Thus the Account number of individual members will be MH/NSK/ 57085 /1, MH/NSK/ 57085 /2, MH/NSK/ 57085 /3 and so on. Account number once alloted to a member should in no case be alloted to another member even after the closing of his account. The account number alloted may be intimated to each member and to the quoted is all correspondence with this office.

11. यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि निधि के रूप में देय राशि का भुगतान निर्धारित समय से किया गया है । भुगतान में कि गयी किसी भी देरी के लिए धारा 7-क्यु के अन्तर्गत ब्याज तथा पॅरा 14-बी के अन्तर्गत नुकसान का उद्ग्रहण किया जाता है । अधिनियम अथवा योजना के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के लिए विभिन्न दण्ड विधानों को लागू किया जा सकता है ।

It is important to ensure that the amount due to the fund is paid within the prescribed time limit. Damages under para 14B and Interest under Section 7Q are levied for any delays in making payments. Various penal provisions could also be revoked for any violation of the provisions of the Act or the Schemes.

12. क. भ. नि. सं. के अधिकारियों के दल द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अन्य रिकॉड्स के सत्यापन की शर्त के अधीन कोड सं. जारी किया जाता है । व्याप्ति हेतु प्रस्तुत तथ्यों के गलत पाए जाने पर, व्याप्ति को स्थगित करते हुए, जैसी स्थिति हो, उचित कार्रवाई की जाएगी ।

" Code number is issued subject to the verification of various other records submitted by the team of officers of EPFO. If the sub[illegible]on for the coverage made by you is wrong action as deemed it will be initiated apart from preparing the coverage as the case may be "

13. व्याप्ति के उपरांत आपकी कंपनी / स्थापना को अनिवार्य रुप से क्षे. भ. नि. आ. के पास अनुपालन करनी है । यदि आपकी स्थापना किसी भी सांविधिक योजनाओं से अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के तहत छूट पाना चाहती है तो ऐसी छूट केवल भावी तिथि से ही उपलब्ध होगी । ऐसी छूट की अधिसूचना जारी होने के पहले अनुपालन बंद कर देने वाली स्थापनाओं के विरुध्द क्षे. भ. नि. आ. को चूक के लिए योजनाओं के संगत प्रावधानों के साथ पठित अधिनियम की धारा 7ए, 8, 14 तथा 14 बी के तहत सभी दंडनीय कार्रवाई करने का प्रावधान है ।

" On coverage, it is mandatory on the part of your company / establishment to render compliance with the RPFC. In case your establishment desires to avail provisions of section 17 of the Act to obtain exemption from any of the statutory Schemes, such exemption will be available only from prospective date and failure by the establishment to render compliance with the RPFC until the date of notification of such exemption will entail the establishment liable from all penal consequences as provided for under section 7A, 8.14 and 14B of the Act read with related provisions or the Schemes for default."

14. इस कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी आपकी स्थापना का दौरा करेंगे । आपसे अनुरोध है कि आवश्यक सहयोग करें । अगर आपको कोई कठिनाई हो अथवा दिशा-निर्देश चाहते है तो कृपया निसंकोच इस कार्यालय से संपर्क करें ।

An Enforcement Officer of this office will be visiting your establishment. You are requested to afford him necessary co-operation. If you experience any difficulty or need any guidance, please feel free to contact this office.

सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन ।

Assuring you all co-operation,

Encl. : (1) ~~Form No. 5A~~
(2) ~~Form for allotment of Business Code No.~~

भवदीय,

Yours faithfully,

क्षेत्रीय / सहायक भविष्य निधि आयुक्त

Regional / Assistant Provident Fund Commissioner

नासिक, महाराष्ट्र / Nasik, Maharashtra

सहायक भविष्य निधि आयुक्त
ASST. P. F. COMMISSIONER
S. R. O. NASIK
उ. क्षे. का. नासिक

प्रति : 1) लेखा अनुभाग
2) प्रवर्तन अधिकारी

C.C. : 1) Cordination - II
2) Enforcement Officer